# अप्रैल GST संग्रह में मध्य प्रदेश शीर्ष पर

## चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष में **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** संग्रह में 30% की वृद्धि हासिल करके भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

## मुख्य बिंदु:

- अप्रैल में देश में **GST राजस्व संग्रह में 11% की बढ़ोतरी** देखी गई।
- वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में कुल GST संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने के साथ देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
- राज्य में कुल पंजीकृत GST भुगतानकर्त्ताओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- GST एक **मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली** है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका **भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है,** लेकिन इसे सामान और सेवाएँ बेचने वाले **व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है।**
- **GST की विशेषताएँ:**
  - **आपूर्ति पक्ष पर लागू:** GST वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू होता है।
  - **गंतव्य आधारित कराधान:** GST मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
  - **ड्युअल GST:** यह **ड्युअल GST** है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले GST को केंद्रीय GST (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले GST को राज्य GST (SGST) कहा जाता है।
    - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधीन होगा।
  - **GST दरें पारस्परिक रूप से तय की जाएंगी:** CGST, SGST और IGST केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। दरें GST परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाती हैं।
  - **एकाधिक दरें:** प्रारंभ में GST चार दरों पर लगाया गया था- 5%, 12%, 16% और 28%। इन कई स्लैबों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची GST परिषद द्वारा तैयार की जाती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-tops-aprilgst-collection